जो इस

FORM No. III

APP
Crl

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालम कलेक्टर मुकाम बसवा

श्री कौशल्या बनाम मिश्री देवी

मुकदमा दावा नं. 148 सन 2022

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/24	पत्रावली पेश हुई। 1/10 व 7/11 पर बहस सुनी गई, वास्ते आदेश 1/10 व 7/11 को लिये आ.ता. 8-7-24 पेश हो उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकालों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 11-7-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
11/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकालों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 15/7/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते 1/10 व 7/11 आदेश दि. 18-7-24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
18/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रा.प. Order 7 नियम 11 पर [illegible] गया, जो शामिल पत्रावली किया गया, प्रा.पत्र Order 7 नियम 11 स्वीकार होने से उक्त प्रकरण/वाद पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर पत्रावली को बाद इन्द्राज होकर, दाखिल दफ्तर की जाकर, नम्बर से कम की जाती है। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या :—148/2022
निर्णय दिनांक :— 18.7.2024

प्रकरण :— दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण का उनवान

कौशल्या पत्नी नानगराम जाति माली निवासी राजवास तहसील बसवा वगैरह

(वादी)

बनाम

मिश्री देवी पत्नी ख्यालीराम वगैरह

(प्रतिवादीगण)

—: निर्णय ''प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908'' के तहत :—

दिनांक :— 18.07.2024

उपस्थिति :—1.वादीपक्ष की ओर से —एडवोकेट श्री संपत जांगीड
2.प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एडवोकेट नवीन गुर्जर
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 3, 5 व 6 की ओर से एडवोकेट श्री हंसराज जांगीड
3. प्रतिवादी सं. 4 की ओर से एडवोकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा

पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई । प्रश्नगत प्रकरण संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार
है कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय
का पेश किया कि ग्राम राजवास के खाता संख्या नया 12 पुराना 11 के खसरा नंबर
161/26, 163/29, 181/26, 182, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 33, 34, 4 कुल किता
14 कुल रकबा 2.70 हैक्टयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 7 व 8 की संयुक्त
खातेदारी की भूमि है । जिसके अनुसार वादी[illegible] प्रतिवादी संख्या 7 व
8 का हिस्सा 2/7 दर्ज रिकोर्ड है । इसी प्रकार ग्राम [illegible] के ही खाता संख्या 8
खसरा नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 165[illegible]/11, 179/13,
180/16 कुल किता 14 कुल रकबा 2.15 हैक्टयर भूमि [illegible]वादी संख्या 1 का हिस्सा
3/4 एवं 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकोर्ड है । [illegible]क्त दोनों ही खाते एक दूसरे
के लगते हुए हैं । इन भूमियों में वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की
भूमि हैं जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने गकान बनाकर रिहायश किये हुए हैं
। भूमि उपर्युक्त में अभी विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1
लगायत 6 बुजुर्गान के समय से ही भूमि मुतदाविया का हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर
लगातार काबिज काश्त रहकर मुफीद होते चले आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में ग्राम राजवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

के खाता संख्या नया 12 पुराना 11 के खसरा नंबर 161/26, 163/29, 181/26, 182, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 33, 34, 4 कुल किता 14 कुल रकबा 2.70 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम राजवास के ही खाता संख्या 8 खसरा नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 165/11, 167/13, 169, 17, 178/11, 179/13, 180/16 कुल किता 14 कुल रकवा 2.15 हैक्टयर भूमि का विधिवत् तकास्मा किया जावे ।

वर्णित आराजियात के कम में प्रस्तुत दावा न्यायालय हाजा में जैरकार है । प्रश्नगत एवं विचाराधीन प्रकरण के कम में प्रतिवादी संख्या 6 श्रीनारायण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय का प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में पेश किया कि उक्त प्रकरण में वादीया का कोई वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होता है, वादीया उक्त भूमि की खातेदार नहीं है, जिनमें कुरेजात श्रीमान् पत्रावली में उपलब्ध हैं इसलिए वादिया का वाद खारिज करने की कृपा करें ।

हमने प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 के कम में तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2023/1949 दिनांक 31.5.2023 के संलग्न न्यायालय हाजा को प्रस्तुत कुरेजात का अध्ययन किया ।

प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध जमाबंदी प्रतियों के अवलोकन के बाद स्थिति खातानुसार निम्नांकित पाई गई है :—

1. ग्राम राजवास खाता संख्या नया 12 पुराना 11 खसरा नंबर 161/26, 163/29, 181/26, 182, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 33, 34 एवं 4 कुल किता 14 रकबा 2.70 हैक्टयर भूमि में वादीगण का हिस्सा तो अंकित है, किंतु प्रश्नगत खाते में दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु.जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 175/18 के द्वारा स्थगनादेश प्रभावी है । एवं इसमें प्रतिवादी संख्या 1 मिश्री देवी का कोई हिस्सा अंकित राजस्व रिकोर्ड नहीं है ।

2. ग्राम राजवास के ही खाता संख्या 8 खसरा नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 165/11, 167/13, 180/16 कुल किता 14 कुल रकबा 2.15 हैक्टयर भूमि के संबंध में दस्तावेजी आधार पर वादिया का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकोर्ड नहीं है, एवं प्रतिवादी संख्या 1 मिश्री देवी के संबंध में भी तहसीलदार बसवा द्वारा कुरेजात रिपोर्ट में अंकन किया है कि जमाबंदी व मौके अनुसार खसरा नंबर 17, 15, 14, 179/13, 167/13 पर प्रतिवादी सं. 1 मिश्री देवी का कब्जा है, किंतु खसरा नंबर 12, 7, 8, 9, 10, 178/11 पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा नहीं है ।

प्रश्नगत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई । उभयपक्षकारान ने अपनी अपनी दलीलें प्रदत्त की । वकील प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में वर्तमान हालात में कोई वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने से संपूर्ण वाद को ही खारिज किया जावे । जबकि वकील वादी ने इसका विरोध किया ।

Signature Not Verified

उपरोक्त दस्तावेजी आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीया का एक खाता संख्या 8 ग्राम राजवास में कोई हिस्सा ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड नहीं होने से, वाद हैतुक ही उत्पन्न नहीं होता है, एवं ग्राम राजवास के द्वितीय खाता संख्या 12 में यद्यपि वादीया का तो हिस्सा है किंतु इसमें प्रतिवादी संख्या 1 मिश्री देवी की खातेदारी का कोई अंकन नहीं है, एवं वादीया का हिस्सा है किंतु न्यायालय आर.ए.ए.. दौसा मुख्यालय जयपुर का स्थगन प्रभावी होने से, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में "उत्पन्न वाद हैतुक" पोषणीय एवं विचारणीय नहीं है ।

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अतः इस स्टेज पर प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करना एवं प्रचलित उक्त वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

आदेश

लिहाजा आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत प्रा.पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है एवं प्रश्नगत इस वाद कौशल्या पत्नी नानगराम जाति माली निवासी राजवारा तहसील बसवा वगैरह बनाम मिश्री देवी पत्नी ख्यालीराम वगैरह प्रकरण संख्या 148/2022 को खारिज किये जाने के आदेश दिया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, एवं मूल दावा भी खारिज होकर नंबर से कम हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested